85

# ज़ायद बही नं० 4

जिलद—बाबत महकमा सब-रजिस्ट्रार

| कीमत अशटाम्प | नम्बर शुमार अन्दराज मुआमले केमालीयत और नोईयत और कीमत रजिस्ट्री व दीगर रसूम और तावान वसूल शुदा |
|---|---|
| नोट:—यह खाना इस किसम के नोटों के लिये भी इस्तेमाल हो सकते हैं जो मामूली किताब नं० 4 के खाना कैफियत में लिखे जाते हैं | R.No 134<br>वसीयत<br>R.I-250.00<br>C.I- 3.00<br>Total - 53.00 |

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (C.G.)

New Art Press JUC. 2074 Reg.

Government Judicial Paper

नम्बर

वसीयतनामा

मुझे (1)

दिनांक उम्र 68 साल पुत्र
[illegible] पुत्र साकिन सरवा थाना
[illegible] बहादुर तहसील सदर
बिलासपुर हि. प्र. का हूँ।
मुझसे बड़ा अफसी है।
[illegible] मेरा मीजलत है।
[illegible] थाना [illegible]
[illegible] तहसील सदर जिला
[illegible] अरसे [illegible]
[illegible] है और
[illegible] है। मुझसे जायदाद
[illegible] पैदा करता है।
[illegible] पुत्र इन्द्र व दो
[illegible] लक्ष्मी, सावित्री
[illegible] मुझसे अपने पुत्र
[illegible] दोनों पुत्रियों की शादियां
[illegible] हैं। मुझसे भी दोनों
[illegible] अपने अपने घर पर
[illegible] व मुझसे वे [illegible]
[illegible] व [illegible] मिला है
[illegible] मेरी सेवा नहीं करती है।
[illegible] पुत्र [illegible]
[illegible] हो गया है।
[illegible] संजू [illegible]
[illegible] व [illegible] गोदावरी
[illegible] सेवा [illegible] है।
मुझसे भी [illegible] पत्नी [illegible]

No 712474 A: Himachal Government Judicial Paper

नकल

वसीयतनामा

मुज़ १

मनकि पिताराम उम्र ६४ साल पुत्र
परसराम पुत्र साधू सकना चनाणा
परगना बहादुरपुर तहसील व जिला
सिरमौर हि. प्र. का हूं।
जोकि उम्र बूढ़ा जईफ है।
इस बुढ़ापा में सेवा की जरूरत है।
उम्र ग्राम चनाणा परगना
बहादुरपुर तहसील व जिला
सिरमौर में जायदाद मनकूला
व गैर मनकूला मालिक
व काबिज हूं। जायदाद
मनकूला व गैर मनकूला हरमिलख
उम्र मेरी वुद मेंदारदा है।
उम्र के एक पुत्र इन्द्र व दो
पुत्रियां श्रीमति लाभवती लक्षिती
मौजूद हैं। उम्र ने अपने पुत्र
इन्द्र व दोनों पुत्रियों की शादियां
करदी हुई हैं। उम्र की दोनों
पुत्रियां अपने अपने घर पर
आबाद हैं व उम्र ने इन्हें
काफी दहेज दिया है
और वह मेरी सेवा नहीं करती हैं।
उम्र का दूसरा पुत्र [illegible]
बाद शादी फौत हो गया है।
जीतराम, दीप, संजू, छोटूराम
मुज़ २
उन के पुत्र व श्रीमति गोदावरी
उन की सेवा मौजूद है।
उम्र की सहित पत्नी श्रीमति

[illegible]

6.7.20

दस्तावेज क्रमांक — 4 — वर्ष

किस्त — 4 — वर्ष

वर्ष — 2020

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
6/7/20

प्रतीपत्र

प्रतीका — नाता हुआ — विद्या राम S/o परस राम

सकना तहसील परगना तहसील

जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश ने आज दिनांक 6-7-20

तदानुसार 11 आषाढ़ सं. 1942 वरोज

समय 4.30 बजे दिन कार्यालय उप रजिस्ट्रार

अवर में पत्रावे रजिस्ट्रेशन पेश किया।

पेश कर्ता

श्री विजय राम

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
6/7/20

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पेश कर्ता ने अंगूठा निशान मेरे सामने लगाया है।

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
6/7/20

No 712473 A. Himachal Government Judicial Paper

बाकी फौत हो गई है।
उज़हर की दूसरी लड़की नीमकि
बौरत ने करीब 25 साल
हुआ उज़हर को छोड़ दिया है व
तलाक़ दे दिया है और उज़हर ने
उस को छोड़ दिया है व तलाक़
दे दिया है और वह दूसरे घर
आबाद है व वहां पर उस से
बच्चे भी पैदा हो चुके हैं।
इस तरह उज़हर करीब
5 साल से उज़हर से अलग रहता
है व कोई खबर नहीं रखता है
बल्कि उज़हर को गालियां देता व
उज़हर को मारपीट करता और
लेकर कब्जा करने की धमकियां
देता है। उज़हर को इस से खतरा
जान है। जीतराम, दीपू, संजू,
छोटूराम पुत्र व रामदास पोते गांव
उज़हर व उस की माता नीमकि गोदावरी
मेरी खेत पर कब्जा करने और
मारपीट भी उज़हर को उस की
सेवा करने की उम्मीद है। जिस से
उज़हर हर तरह पर खुश है।
उज़हर लावारिस है, इसलिए
लावारिसों के फौत होने के
बाद जायदाद उसकी बाज़ी में
बरबाद हो जाती है।
उज़ 3)
सो उज़हरलाल तैहरीर की तहरीरी
इसलिए जायदाद मकबूजा गैरमनकूला
पर किस की वसीयत बराए जीतराम
दीपू संजू, छोटूराम पुत्रान

6-7-90

वसीका [illegible] नामा हुआ श्री [illegible]
हरफ व हरफ पढ़कर सुनाया व समझाया गया। जिसने
इस वसीका को तमाम तहरीर व तकमील को सुन व
समझकर सही तसदीक किया। इसकी शनाख्त
श्री बाबू राम [illegible] है। जिनसे मैं स्वयं
परिचित हूँ। निशानी स-ीका हुआ तस्दीक किया
जाता है अर्ज रजिस्टर होवे।

पेश कर्ता  गवाह कर्ता

2-7-1
[illegible]

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पेश कर्ता ने अंगूठा निशान
मेरे सामने लगाया है।

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)

No. 712471 A. Himachal Government Judicial Paper

नरायणदास पुत्र दिवानसिंह
चमाणा परगना बहलाडा तहसील
सदर जिला बिलासपुर हि. प्र. पोतगान
रबूबर मे इकरार करता हूं और
लिख देता हूं कि जब तक उज़्र
हयात है उज़्र अपनी नुसखा
जायदाद नकदी व गैरनकदी
हर किस्म का माल्कि व काबिज़ रहेगा।
बाद वफात उज़्र मेरी नुसखाजायदाद
नकदी व गैरनकदी हर किस्म
बरकसा ग्राम चमाणा परगना
बहलाडा तहसील सदर जिला
बिलासपुर व जहां कहीं हो मे
मीतराम, दीन, संजू, डोडाराम पुत्रान
नरायणदास पोतगान उज़्र हर
चार बहिना पुत्रान व मालकान व काबिज़ व
किसी दीगर नातवान या उज़्र के
किसी दीगर वारिस का हक मे
कोई हक या वासता न होगा।
नुसखा जायदाद हर किस्म उज़्र में
अगे जो हक उज़्र को हासल है
वह तमाम बाद वफात उज़्र
मौसी मुल्क मज़्कूर को हासल होंगे।
उज़्र को अपनी हयात में बेनीयतयार
(उज़्र)
रजा से तबदील या मनसूख करने
का हर तरह का हक हासल होगा
अगर किसी और को हक में दखलअंदाज़ी
करने का कोई हक न होगा।
उज़्र ने पहिले कोई दस्तावेज़
किसी के हक में तैयार नहीं कराई है।

नरायणदास
नरायणदास

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
6/7/70

No. 712194 A 8 Himachal Government Judicial Paper

आज बाद बफात मुकदमा मेरे
वाकफ मिले जो दस्तावेज़ की
बिना पर दावेदार होंगे वह इसके
मुकाबला में पक्ष तसव्वर होंगे
और वसीयतनामा हज़ा पर पूरा
पूरा अमल होगा।
हिदायत आंनद मुताबिक वसीयत
वसीयतनामा बमुकाबिले होल्डर वाकफ
रहे बिहा तरगीब गैरे वाकफ
ए वसीयतनामा तैयार कर
देता हूं कि सनद रहे।
तिथि 6 7 90 बिलासपुर

गवाह शुद — अंगूठा — गवाह शुद —
श्री बालमुकन्द पिता राम श्री दीपराम
पुत्र लेखराम वासी मजकूर पुत्र रामपति
पुत्र अहमद निवासी अंगूठा बाला पुत्र छोटा
तहसील बिलासपुर तहसील बिलासपुर
जिला बिलासपुर जिला बिलासपुर
बालमुकन्द दीपराम

वसीयतनामा हज़ा में कुल 530 वाक्य हैं।

922
6-7-90
बालमुकन्द
मार्फत वकील
बसीयतनामा
बिलासपुर

उक्त मुताबिक अमल है।
तिथि 6/7/90 उक्त नं. 922
मार्फत मुकन्द
वकील बसीयतनामा
बिलासपुर

922
6-7-90

Application No. 134 in Book 3
Volume 91 on page/pages 63 Fee 6
Date 5/7/90

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
6/7/90